



दूरभाष :- 0151-2970665

राजस्थान-सरकार ई-मेल :-jdmandalbkn@gmail.com

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग,
बीकानेर।**

क्रमांक :-संनि/स्कूल शिक्षा/ बीकानेर/संस्था-1/डीपीसी 2020-21/परामर्श कैम्प/2020/3183

दिनांक 08.04.2021

पदस्थापन परामर्श कार्यक्रम (Counselling for Posting program)

स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजन
विषय :- अंग्रेजी/हिन्दी/गणित/पंजाबी/संस्कृत/विज्ञान/सामान्य/उर्दू/पंजाबी/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक
(नॉनटीएसपी)

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक:- शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1ए /12128/डीपीसी/2020 दिनांक 07.04.2021 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित करने हेतु बीकानेर संभाग में पदस्थापन हेतु निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाता है।

परामर्श कैम्प स्थल :- कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
करणी सिंह स्टेडियम के सामने, बीकानेर।

क्र० सं०	विषय	दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीयन समय एवं प्रमाण-पत्र जांच	वरीयता निर्धारण का समय (संशोधन/आपत्ति हेतु)	काउंसलिंग का समय
1	गणित	10.04.2021	34	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
2	अंग्रेजी		112	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
3	हिन्दी	11.04.2021	17	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
4	सामान्य		32	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
5	विज्ञान	12.04.2021	82	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
6	संस्कृत	13.04.2021	59	सुबह 08.00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11.00 से
7	उर्दू		05	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11:00 से
8	पंजाबी		40	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11:00 से
9	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक		29	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक	सुबह 10:00 से 11:00 बजे तक	सुबह 11:00 से

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परामर्श शिविर से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

B. अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा :-

क्रस	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र।

2	असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति(कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हृदय शल्य चिकित्सा)	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
3	विधवा महिला / परित्यक्ता महिला	पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ-पत्र 50/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर।
4	एकल महिला (अविवाहित)	50/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ-पत्र।
5	अन्य महिला	-
6	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
7	अन्य शेष वरिष्ठता के कम में	-

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिंग दिवस को ही निर्धारित समय पंजीयन समय 08:00-10.00 तक काउंसलिंग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। परामर्श कैंम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर स्थानीय कार्यालय स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा।

समस्त विषयों के परामर्श कैंम्प हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- 1 काउंसलिंग में सम्मिलित वाले अभ्यर्थी कोई एक पहचान पत्र फोटोयुक्त (आई0डी0), मूल दस्तावेज एवं वरियतानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
- 2 काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक :- एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का, शपथ पत्र अनिवार्य रूप से साथ में लावें।
- 3 चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता की स्व:प्रमाणित प्रति साथ में लावें।
- 4 वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा।



(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग,
बीकानेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग,
बीकानेर।

--: वरीयता निर्धारण एवं सहमति पत्र ::--

स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित परामर्श कैंप में वरिष्ठ अध्यापक (विषय-) का वरीयता निर्धारण एवं सहमति पत्र।

1	नाम अभ्यर्थी/पिता का नाम	
2	जन्मतिथि	
3	स्थायी निवास पता :-	
4	वर्ग	
5	मण्डल वरिष्ठता क्रमांक	
6	स्नातक योग्यता अर्जित विश्वविद्यालय का नाम	
7	प्रशिक्षक योग्यता अर्जित विश्वविद्यालय का नाम	
8	विशेष श्रेणी है तो विवरण अंकित करें :- यथा दिव्यांग, असाध्य रोग विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, हेतु। साक्ष्य प्रस्तुत करें।	
9	काउंसलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम संख्या	

सहमति

मैं (नाम)..... स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग में वरिष्ठ अध्यापक (विषय-) का सहमति पत्र पर पदस्थापन हेतु निर्धारित रिक्तियों में से मेरे द्वारा राजकीय.....

ब्लॉक.....जिला.....में वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद पर पदस्थापन बाबत अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ जहां पर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण कर लिया जाएगा, अन्यथा मैं विभाग को लिखित में कार्यग्रहण नहीं करने की सूचना उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
नाममय पद
वर्तमान पदस्थापन

शपथ-पत्र

यह कि मैंपुत्र/पुत्री.....
जन्मतिथि.....स्थायी निवासी.....
.....मंडल वरिष्ठता क्रमांक.....का स्कूल
शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू डीपीसी में पदोन्नत पर
वरिष्ठ अध्यापक (विषय-) में चयन हुआ है जिसमें मैं निम्न शपथपूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि :-

1.राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक :- एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के द्वारा संतानों का विवरण निम्नानुसार है :-

दिनांक 01.06.2002 से पूर्व उत्पन्न संतानों की संख्या	दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या	कुल संतानों की संख्या

2. मैं यह शपथ पूर्व बयान करता है कि मेरे द्वारा अर्जित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता मान्य नहीं पाई जाती है, तो विभाग द्वारा यह पदोन्नति निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी अधिकार सुरक्षित करेगा।

3.मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता/करती हूँ और ना ही भविष्य में करूंगा/करूंगी।
क्र0स0 1 से लेकर 03 तक तथ्य मैंने किसी भी प्रकार से छिपाया/घटाया/बढ़ाया नहीं है।
भवदीय

(हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी नाम :-

पिता का नाम :

पद :-

वर्तमान पदस्थापन

मोबाईल नम्बर :-

दिनांक :-

स्थान :-

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर सम्भाग,
बीकानेर।

--: विशेष श्रेणी वरीयता निर्धारण प्रपत्र ::--

**स्कूल शिक्षा विभाग की सत्र 2020-21 की नियमित डीपीसी/रिव्यू
डीपीसी से पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु।**

- 1 अभ्यर्थी का नाम :-
- 2 पद:-.....
- 3 पदस्थापन :-.....
- 4 मण्डल वरिष्ठता क्रमांक.....
- 5 स्थाई निवास स्थान :-
- 6 प्राथमिकता श्रेणी (सामने कॉलम में सही का निशान अंकित करें)
 1. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी (सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र) ()
 - 2 असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति(कैंसर गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हृदय शल्य चिकित्सा) (सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र) ()
 - 3 विधवा-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने पर। ()
 - 4 परित्यक्ता महिला-सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने पर। ()
 - 5 महिला अभ्यर्थी (अविवाहित) - 50/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। ()
 - 6 भूतपूर्व सैनिक (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)। ()

हस्ताक्षर

कार्मिक का नाम

पद

वर्तमान पदस्थापन

मोबाईल नम्बर

दिनांक